राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर
जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांकःएफ.55( )पीए / सीई / डीएलबी / कोरोना / 2021 / 140845-1061 दिनांकः 20/10/2021

उपनिदेशक (क्षेत्रीय),
स्थानीय निकाय विभाग,
समस्त, राजस्थान।

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद् / पालिका,
समस्त, राजस्थान

विषयः–त्रिस्तरीय जन–अनुशासन दिशा–निर्देश बाबत्।

संदर्भः–गृह विभाग, राजस्थान सरकार का आदेश क्रमांक प.7(1)गृह–7 / 2021 दिनांक 11.10.2021

राज्य में कोरोना संक्रमण में गिरावट आई है, परंतु संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसे देखते हुए हाल ही में गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संदर्भित आदेश के माध्यम से कोरोना संक्रमण हेतु पूर्व में जारी गाइडलाईन की पालना कराने के साथ–साथ कोरोना के विरूद्ध जागरूकता अभियान के अंतर्गत संचालित समस्त गतिविधियां पूर्व की भांति जारी रखनी है एवं निम्नांकित गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देशित किया हैः–

1. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 17.09.2021 की निरंतरता में बिन्दु सं. 16 में प्रदर्शनी / सामाजिक समारोह के साथ स्थानीय जिला प्रशासन को पूर्व में सूचित करते हुए धार्मिक कार्यक्रम प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक अधिकतम 200 व्यक्तियों की संख्या के साथ केवल उन व्यक्तियों के लिए अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम–से–कम 1st Dose लगवा ली हो एवं साथ ही कोविड उपयुक्त व्यवहार, मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना भी अतिआवश्यक है।
2. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 17.09.2021 की निरंतरता में स्थानीय जिला प्रशासन को पूर्व में सूचित करते हुए पशु हाट मेलों के साथ ही अन्य प्रकार के हाट बाजारों का आयोजन कोविड उपयुक्त व्यवहार, मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखते हुए किया जा सकेगा।

3. प्रदेश की समस्त दुकानें/शॉपिंग मॉल्स/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात्रि 10:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। संचालकों द्वारा स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क की अनिवार्यता एवं अन्य कोविड अनुकूल अनुशासन का ध्यान रखना होगा।
4. पेट्रोल/डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) ऑउटलेट अपने समयानुसार संचालित किये जा सकेंगे।
5. संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से अगले दिन प्रातः 5:00 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
6. यह आदेश आदिनांक से प्रभावी होगा।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(दीपक नंदी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःएफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/कोरोना/2021/141062-1098 दिनांकः 20/10/2021

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः
1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।
4. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक